<u>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर</u>

(पीठासीन अधिकारीः–श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–257 / 2016 / 225 (2016 / 00257)

1. शंकर पुत्र छीतर, जाति जाचक, निवासी मदारपुरा, तह0 व जिला अजमेर.

अपीलांट

बनाम

1. नगर सुधार न्यास (अजमेर विकास प्राधिकण), अजमेर जरिये सचिव ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 13.6.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 137 / 2012.</u>

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री महेन्द्र सिंह चौहान, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट ।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः–08.08.2018

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के निर्णय दिनांक 13.6.2016 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी / अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद वास्ते खातेदारी उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र / प्रार्थना पत्र में दर्ज आराजियात अपीलांट की पुश्तैनी खातेदारी, काश्तकारी की आराजियात है जिस पर अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है । विवादित आराजियात में से खसरा नंबर 30 व 32 पर वादी / अपीलांट ने मकानात व बाड़े बना रखे है । विवादित आरायित खसरा परिवर्तनशील में वादी के नाम बतौर खातेदार के रूप में दर्ज है तथा राजस्व कर्मचारियों के द्वारा अपीलांट / वादी को उक्त आराजियात बाबत् धारा 91 के अंतर्गत नोटिस प्रदान किये जाते रहे है तथा अपीलांट समय–समय पर उक्त आराजियात बाबत् लगान भी जमा कराता आ रहा है । साबिक खसरा नंबर 12 जिसके हाल खसरा नंबर 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 47, 41, 42 कुल रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा है का जमाबंदी संवत् 2023 से 2030 में वादी के पिता छीतर काना का नाम बतौर खातेदार के रूप में दर्ज है किन्तु दौराने बंदोबस्त भू–प्रबंध विभाग द्वारा चौसाला जमाबंदी से आधारभूत जमाबंदी बनाते समय सहवन से उक्त आराजियात सरकारी खाते में दर्ज कर दी गई तथा उक्त गलत इंद्राज के आधार पर

नामांतकरण संख्या 11 दिनांक 2.6.2004 के द्वारा उक्त आराजियात नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम दर्ज कर दी गई जिसकी दुरूस्ती हेतु वादी ने यह वाद एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन भी किया गया । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 13.6.2016 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 को अपास्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात पर अपीलांट का वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा विवादित आराजियात खसरा परिवर्तनशील में निरन्तर वादी एवं उसके पूर्वजों की काश्त दर्ज थी । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात चौसाला जमाबंदी संवत् 2023 से 20230 तक वादी के पिता छीतर पुत्र काना के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज थी किन्तु भू–प्रबंध के दौरान बंदोबस्त विभाग द्वारा चौसाला से वर्किग जमाबंदी तैयार करते समय सहवन से पुनः वादी/अपीलांट के नाम दर्ज नहीं कर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज कर दी जिसका अधिकार बंदोबस्त विभाग को नहीं था । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 15.6.2016 की पेशी नियत की थी किन्तु अधी0न्याया0 ने नियत दिनांक से पूर्व ही अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता को सूचित किये बिना प्रकरण को दिनांक 13.6.2016 कैम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु नियत कर आदेश पारित कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 13.6.2016 में भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी की बहस होना अंकित नहीं है। अपीलांट ने खसरा संख्या 36 रकबा 9 बिस्वा के नये खसरा नंबर 303 रकबा 0.02 है0 पर चाह का निर्माण कर रखा है उक्त चाह से अपीलांट अपनी अन्य आराजियात को सिंचित करता है । विवादित आराजियात पर अपीलांट का कब्जा काश्त है जिससे प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है, यदि अप्रार्थी/रेस्पो0 अपीलांट को गलत इंद्राज के आधार पर विवादित आराजियात से बेदखल कर देते है तो अपीलांट को अपूणीय क्षति होगी। अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर संक्षिप्त आदेश से एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 13.6.2016 अपास्त किया जावे एवं अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबदं किया जावे ।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात सिवायचक दर्ज होने के उपरांत नगर सुधार न्यास, अजमेर को हस्तातंरित की गई है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से विवादित आराजियात पर अपना कब्जा काश्त साबित करने में असफल रहे है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

5. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में दिनांक 21.2.2012 को वाद के साथ विवादित आराजियात बाबत् प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत किया था जिसे अधी0न्याया0 ने दिनांक 21.2.2012 को

दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये तथा पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.4.2012 नियत की गई । पत्रावली में लगभग 3 पेशियां पीठासीन अधिकारी के राजकीय कार्यो में व्यस्त होने से तब्दील की जाती रही है तत्पश्चात् प्रकरण विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश द्वारा सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर को स्थानातंरित किये जाने पर पत्रावली दिनांक 19.10.2012 को सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर के न्यायालय में स्थानातंरण से प्राप्त होने पर पत्रावली में लगभग 7 पेशियों तक पत्रावली अप्रार्थीगण की तलबी में चलती रही । दिनांक 23.5.2013 को अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री अजीतसिंह राठौड़ ने वकालत नामा पेश किया इसके उपरांत पत्रावली लगभग 30 पेशियों तक वास्ते जवाब अप्रार्थीगण एवं बहस चलती रही । दिनांक 13.6.2016 की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली उक्त दिनांक को न्याय आपके द्वार ग्राम रसूलपुरा में रखकर प्रार्थी/अपीलांट के प्रार्थना पत्र धारा 212 को अस्वीकार करने के आदेश पारित किये है । अपीलांट का दौराने बहस यह कथन रहा है कि पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 15.6.2016 नियत की गई थी किन्तु प्रकरण को नियत दिनांक से पूर्व ही बिना किसी सूचना/नोटिस के न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट दिनांक 13.6.2016 को रखकर निर्णित कर दिया । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 5.4.2016 को पत्रावली में आगामी सुनवाई की तारीख दिनाक 15.6.2016 नियत की गई थी किन्तु दिनांक 15.6.2016 से पूर्व ही अधी0न्याया0 ने प्रकरण को न्याय आपके द्वारा कैम्प रसूलपुरा में रखकर निर्णित किया है। प्रकरण को कैम्प रसूलपुरा में रखे जाने के संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट को किसी प्रकार का सूचना पत्र/नोटिस जारी करने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अधी0न्याया0 के आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अधी0न्याया0 ने धारा 212 के प्रकरण को निर्णित करने हेतु आवश्यक तत्व यथा प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु के संबंध में कोई विवेचन नहीं कर मात्र 7–8 लाईन में कारण रहित संक्षिप्त निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नही माना जा सकता है।

6. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.6.2016 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के आवश्यक बिन्दुओं यथा प्रकरण दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं को विवेचित कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 8.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर